

129
19/10/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-

1563
-सार्वजनिक सूचना-

दिनांक-

18/10/22

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	मुकेश कुमार शर्मा, अजय, राकेश, संजय पुत्रान श्री किशन दत्त (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-9	311.11
2	श्री बनवारी लाल यादव/लहरी लाल यादव (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-83ए	62.78
3	शाजी जकारिया/एन.सी. जकारिया (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-88	138.88
4	अंकिता कुमावत, आरती, अर्पिता/रमेश कुमावत (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-83	133.33
5	मोहरी देवी/मांगी लाल (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-डी)	डी-797	166.66
6	पुष्पा गुप्ता/महावीर प्रसाद (टैगोर नगर गू0 नि0 स0 सो0 लि0 की योजना-शिव विहार-सी)	22	224.47
7	ब्रजेश पारीक/भगवान सहाय पारीक (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-99-100	108.75
8	ओमप्रकाश यादव/लल्लू राम यादव (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-76 साउथ पार्ट	200
9	सुभाष धायल/ओमप्रकाश धायल (अपोलो नगर हा0 को0 आप0 सो0 लि0 की योजना-जगदम्बा नगर-बी)	बी-76 उत्तरी भाग	200

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जविप्रा, जयपुर।

पी.आर.एन. (उत्तर-II)

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

- 2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.ida.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-13/2022/बी-5324

दिनांक 12/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डकारी द्वारा दर्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा / नामहरताकरण का आवेदन किया गया है

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	भाष/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहरताकरण / लीजडीड/बी डीडी लीजडीड/संव
1	ए 2/294	480.00 व.ग.	मेसर्स आनन्द शेट्टी के.एम. जयिब श्री रविम मेहता	जयिब	ए.एम. नगर योजना	नामहरताकरण / लीजडीड/बी डीडी लीजडीड/संव
2	10	106.00 व.ग.	सतार ईडी	मेसर्स निर्माण सहकारी समिति	अनन्त विहार गृह	लीजडीड/बी डीडी लीजडीड/संव
3	35	200.00 व.ग.	डीपक चौहान	मेसर्स निर्माण सहकारी समिति	गोविन्द नगर गृह	लीजडीड/बी डीडी लीजडीड/संव

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो गये साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के अन्दर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दृष्टि में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

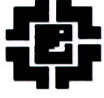
उपायुक्त, जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. पत्राचार (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष 91-141-2569795 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें. 8340 फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3311

दिनांक 19-10-22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	का योजना नाम	विवरण
1.	469	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री राम सहाय शर्मा	मुहाना गृ.नि.स.स.लि.	सचिवालय नगर	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	76	श्री बाबूलाल मीणा पुत्र स्व. श्री घासीराम मीणा	पटेल नगर गृ.नि.स.स.लि.	न्याय वाटिका-बी	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3.	76ए	श्री हनुमान सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री घासीराम मीणा	पटेल नगर गृ.नि.स.स.लि.	न्याय वाटिका-बी	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
4.	76बी	श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र स्व. श्री घासीराम मीणा	पटेल नगर गृ.नि.स.स.लि.	न्याय वाटिका-बी	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
5.	230	श्रीमती शिखा कासलीवाल पत्नी श्री राहुल	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार-ए	नामहस्तान्तरण/लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
6.	229	श्रीमती मानसी जैन पत्नी श्री गौरव टोंग्या	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार-ए	नामहस्तान्तरण/लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त/जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

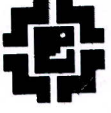
- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त/जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2248

दिनांक

19/10/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

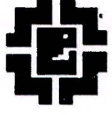
क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अनिरुद्ध आढा	स्व. श्री बसन्त आढा	179	311.11 वर्ग मी	छत्रपति शिवाजी गृ.नि. स.स.	राठौड़ नगर	नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

-Sd/-

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जयपुर जविप्रा, जयपुर।
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

224A

दिनांक

19/1/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रतीक अजमेरा पुत्र श्री विनोद अजमेरा	श्रीमती उर्मिला अजमेरा पत्नी श्री जे.पी. अजमेरा	14	305.73 व.ग.	निजी खातेदारी	कनक वृन्दावन	फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
2	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामफूल बलाई नवीन चौरड़ एवं अनिल चौरड़ संरक्षिका कमला देवी	श्री रामफूल बलाई पुत्र श्री मंगलराम बलाई	बी- 184 बी-159/- 160 बी-183बी	166.11 201.79 123	नेहरू गृ.नि.स. स.	आग्रपाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन, रसीद एवं साईट प्लान

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2246

दिनांक

19/10/2022

आम सूचना

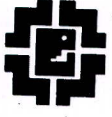
निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री कैलाश चन्द बलाई	श्री श्योदान बलाई	ई- 15-ए	186.66 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स. स.	आम्रपाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2219

दिनांक 17/11/2022

आम सूचना

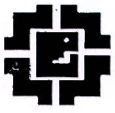
निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री गिरीश कुमार टॉक एवं श्रीमती रुबीना टॉक	श्री रुपनारायण शर्मा	3/9	324 व. मी.	जविप्रा	चित्रकूट	फी होल्ड पट्टा हेतु	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति।

- Sd/-
उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

117061

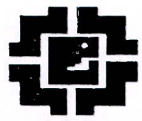
क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शैलेश झंवर पुत्र श्री एस.बी. झंवर	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामसहाय गुप्ता	ए-81	निजी खातेदारी	उदय एनक्लेव	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	मूल दस्तावेज गुम होने के कारण।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 5973
दिनांक 19/10/2022


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

19/10/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 5324

दिनांक:- 18/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/ लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	ए-2/294	480.00 व.ग.	मैसर्स आनन्द रोड केरियर जरिये श्री रश्मि मेहता	जविप्रा	ट्रांसपोर्ट नगर योजना	वारिसान् के रजिस्टर्ड हकत्याग, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। नामहस्तांतरण/लीज होल्ड लीजडीड
2.	10	166.00 व.ग.	संतरा देवी	भैरव निर्माण सहकारी समिति	अंजनी विहार	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर लीजडीड हेतु।
3.	35	200.00 व.ग.	दीपक चौहान	भैरव निर्माण सहकारी समिति	गोविन्द नगर	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर लीजडीड हेतु।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

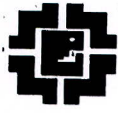
PRD
19/10/22

60
उपायुक्त, जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

ey
उपायुक्त, जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 5765

दिनांक:- 10/10/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.गज)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तावित
1.	डी-83	227.60	आनन्द विहार	श्री सुनील रस्तोगी पुत्र श्री श्याम लाल रस्तोगी एवं श्रीमती मीनाक्षी रस्तोगी पत्नी श्री सुनील रस्तोगी	श्री एस.एल. रस्तोगी पुत्र श्री ताराचन्द रस्तोगी	मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आधार पर हस्तान्तरण एवं फ्रीहोलीजडीड हेतु आवेद किया गया है।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावे।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2022/डी-2786

दिनांक: 19/10/22

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रामा देवी पत्नी स्व. श्री मोहनलाल चौधरी सुश्री कविता चौधरी, अजय चौधरी जरिये संरक्षिका माता रामा देवी	श्री मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री छीतर मल चौधरी	1-A	166.66	मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	गंगा बिहार विस्तार	लीजडीड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र आदि

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावे।

उपायुक्त-जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त-जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-सम्बंधित कार्यालय : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसंदेशन: (सम्बंधित कार्यालय): फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2022 / डी-2562

दिनांक 18-06-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....**1-3562**

दिनांक.....**18.10.2021**

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जय भवानी विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
ग्राम निवारु तहसील जयपुर	501/682	1.5808 भूमि में 1/2 हिस्सा	1. कोयली पत्नि लड्डू हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह। खातेदार 2. प्रभात पुत्र लड्डू हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह। खातेदार 3. नाबालिग सुजाराम पत्नि लड्डू सरंक्षक नाबालिग संरक्षिका माता कोयली, हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह। खातेदार 4. नाबालिग सुरेश पत्नि लड्डू सरंक्षक नाबालिग संरक्षिका माता कोयली, हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह। खातेदार
	कुल किता 1	1.5808 भूमि में 1/2 हिस्सा	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक **18.10.2021** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जोन-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

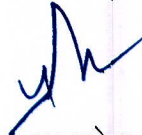
क्रमांक: जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2022 / डी-3557

दिनांक 18-10-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या...0-3557

दिनांक...18-10-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना खरबास विहार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरितों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जायें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
ग्राम हसमपुराबास गांकरोटा तहसील सांगानेर	93	0.1900	1. नाबालिग अजय पुत्र लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त माता श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
	94	0.1900	2. नाबालिग कंचन पुत्री लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त माता श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार 3. कजोड पुत्र मोती हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार 4. जगदीश पुत्र मोती हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार 5. नाबालिग पुजा पुत्री लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त माता श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार 6. श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार
	95	0.1000	1. नाबालिग अजय पुत्र लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार 2. नाबालिग कंचन पुत्री लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार 3. नाबालिग पुजा पुत्री लल्लुलाल सरंक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार 4. श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
	कुल किता 3	0.4800 हेक्टर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/ अभियान/2021/म.म. 311 जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जोन-12 जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 356)

दिनांक 18-10-22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....0-3567

दिनांक.....18.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बजरंग विहार विकास समिति की योजना बजरंग विहार-III के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरितों का कृषि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(6) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(6) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
ग्राम नीदंड तहसील आमेर	2957	0.53 में से 0.2500 हेक्टर	1. अनिता पुत्री हीरालाल हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2. आनन्दा पुत्र काना हिस्सा- 901/7086 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 3. कमला पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 1/12 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4. कौशल्यादेवी पत्नि हीरालाल हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 5. धनश्याम पुत्र हीरालाल हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 6. चौधमल पुत्र गिरधारी हिस्सा- 1/30 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 7. दिनेश पुत्र हीरालाल हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 8. नारायणलाल पुत्र गिरधारी हिस्सा- 1/30 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 9. पौंदुराम पुत्र लच्छा हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 10. बनवारीलाल पुत्र लच्छा हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 11. भंवरलाल पुत्र गिरधारी हिस्सा- 1/30 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 12. मुरारीलाल पुत्र लच्छा हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 13. रंजनपाल पुत्र देवराजपाल हिस्सा- 140/3543 जाति- बंगाली नि. 78 बी कान्तिनगर बनीपार्क जयपुर खातेदार 14. रामफूल पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 1/12 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 15. लालचन्द पुत्र गिरधारी हिस्सा- 1/30 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 16. श्रवण कुमार पुत्र गिरधारी हिस्सा- 1/30 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 17. श्रवणकुमार पुत्र लच्छा हिस्सा- 1/24 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार 18. सुवालाल पुत्र सेडा हिस्सा- 1/6 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
	3004	0.2300	1. कैलाशचन्द पुत्र गोरुउर्फगोमा हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार
	2937	0.8200	


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर-12

2938	0.4900	2. गुल्ली पत्नि गोपाल हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2939	0.3000	3. गोदी पुत्री गोपाल हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2940	0.0600	4. गौरा पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 69 भगवान बाहुबलीनगर निवार रोड़ जयपुर खातेदार
2941	0.1600	5. घासी पुत्र मोहरु हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2942	0.1700	6. देवनारायण पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 69 भगवान बाहुबलीनगर निवार रोड़ जयपुर खातेदार
2943	0.1700	7. पूरणमल पुत्र रामेश्वरलालशर्मा हिस्सा- 1/32 जाति- ब्राह्मण नि. कालीपहाड़ी चारणवास खातेदार
2945	0.3500	8. बद्री पुत्र मोहरु हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2946	0.3800	9. मुपरागीदेवी पत्नि मोहरु हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3009	0.1500	10. गैंगलचन्द पुत्र गोरुउर्फगोमा हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार
3010	0.4300	11. मनोहरलालचौधरी पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 88 सँजयनगर झोटवाड़ा खातेदार
3011	0.3200	12. ममता पुत्री गोपाल हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3012	0.0800	13. मालीराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3015	0.2100	14. लालाराम पुत्र गोरुउर्फगोमा हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार
3016	0.3700	15. शिवनारायण पुत्र गोपाल हिस्सा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3017	0.1800	16. सँजीवभील पुत्र रोशनलालभील हिस्सा- 1/16 जाति- जाट नि. प्लाट न. डी 339 सँजयनगर जोशीमार्ग कालवाड़ रोड़ खातेदार
3018	0.1700	17. सँदीपचौधरी पुत्र विजयकुमारचौधरी हिस्सा- 1/16 जाति- जाट नि. प्लाट न. 44 विजयवाड़ी पथ न. 7 सीकर रोड़ खातेदार
3024	0.2900	1. चौथू पुत्र काना हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
3025	0.2900	2. नानू पुत्र काना हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
		3. मोती पुत्र प्रभू हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
		4. रामेश्वर पुत्र काना हिस्सा- 1/8 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
		5. रामसुखा पुत्र सोना हिस्सा- 1/2 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
2929	0.3600	सत्यनारायण पुत्र झूथाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. चीथवाड़ी तह. चौमू खातेदार
2930	0.0100	1. नानछीलाल पुत्र सेडूराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
2931	0.3300	2. नानूराम पुत्र सेडूराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
2932	0.8300	3. लालचन्द पुत्र सेडूराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुमावत सा. देह खातेदार
2934	0.0100	
2935	0.4300	
3021	0.4600	
कुल किता 28		8.3000 हेक्टर

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/ अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं न्यायाधीश
जयपुर, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3581

दिनांक 18-10-2022

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री भगवान सहाय जाट	श्री सुरजान गहलोत पुत्र श्री लादूराम	ई-79	200.00	निजी खातेदारी	मंगलम पार्क	फ्री-होल्ड पट्टा	मुद्रांकित इकरारनामा बाबत विक्रय

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मुद्रांकित इकरारनामा बाबत विक्रय के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा निम्नानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मनोरयावाला, तहसील सांगानेर, के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1


उपायुक्त (विज्ञप्ति)-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2022/डी- 3305
दिनांक:- 19/10/2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102124

दिनांक: 19/10/2022

लोक सूचना

श्री K.R.G ESTATE DEVELOPERS TH. DIRECTOR KRISHAN KUMAR पुत्र श्री SHRI CHANDGI RAM जाति GUJAR निवासी 475, SUMER NAGAR, AGARWAL FARM, MANSAROVER ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

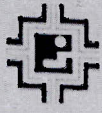
क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मनोरयावाला, सांगानेर (जयपुर)	KRG ESTATE DEVELOPERS	451, 792/452	13700	1.37
कुल					1.37

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19-10-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2381

दिनांक 19.10.2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय की लीजडीज हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितगारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में लीजडीज जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

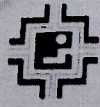
क्र. सं.	मुख्यालय	गु. नि. सं.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	10	हुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री राजकुमार रेनवाल पुत्र स्व. श्री गोलाराम	श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री गोलाराम	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा
2	10ए	हुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरि किशन पुत्र स्व. श्री गोलाराम	श्रीमती सरबती देवी पत्नी श्री गोलाराम	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा
3	12ए	हुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश बसवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल बसवाल	श्री गगन्नाथ वैरवा पुत्र श्री रामपाल वैरवा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
4	12 (दक्षिणी भाग)	हुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द	श्री रामजीवन वैरवा पुत्र श्री गंगाराम वैरवा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
5	14 (उत्तरी भाग)	हुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री किशन पुत्र श्री बट्टी नारायण	श्री धन्नालाल वैरवा पुत्र श्री शूभाराम वैरवा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

21/7

राजकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 ईमेल - 0141-2569695 एक्सटेंशन - 8240 ई मेल

tdc.zone04@japurdja.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

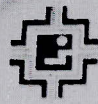
WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

12	26	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती नमता कवर पत्नी श्री प्रदीप सिंह	श्री रा गीद कुमार पुत्र श्री गोपाल आचार्य	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान रसीद अपजीकृत प्रतिज्ञा पत्र अपजीकृत इकरारनामा पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर।
13	31	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री केदार गुप्ता एवं श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता	श्री गेरू सिंह सेनी पुत्र श्री सूरज राम सेनी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान रसीद पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीकृत इकरारनामा अपजीकृत इकरारनामा अपजीकृत मुख्यतया रनामा के आधार पर।
14	31-बी	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	चदना थडानी पुत्री श्री रमेश थडानी	श्री गेरू सिंह सेनी पुत्र श्री सूरज राम सेनी	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान रसीद अपजीकृत इकरारनामा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर।
15	32	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मंगल सिंह	श्री रामावतार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान रसीद अपजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
16	32ए	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती अजनी जाजोरिया पत्नी श्री विठरीलाल जाजोरिया	श्री रामावतार अग्रवाल पुत्र श्री मनोहर लाल अग्रवाल	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र साईट प्लान रसीद अपजीकृत इकरारनामा के आधार पर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574790 ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन - 8240 ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jaypur.vikaspradhikaran.gov.in

6	14	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री गोपाल जी देवरा पुत्र श्री गुरुलाल देवरा	श्री गुरुलाल देवरा पुत्र श्री शर्मा श्री गुरुलाल देवरा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।
7	16	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती निमला देवी पत्नी श्री देवरा राम	कुमारी अलका देवी पुत्री श्री गुरुलाल देवरा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।
8	17	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्री उरलाल देवरा पुत्र श्री गुरुलाल देवरा	कुमारी मंगू शर्मा पुत्री श्री गुरुलाल देवरा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।
9	18-ए	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्री हरि नारायण देवरा पुत्र श्री नाथराम देवरा	श्री मुकुट शर्मा पुत्र श्री आशा राम शर्मा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।
10	20	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती सुनेल कुमारी पत्नी श्री ओम प्रकाश देवरा	श्री गुरुलाल देवरा पुत्र श्री दीपक देवरा	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।
11	20ए	मुनेयादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती अलका देवी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री गोपाल आचार्य	समिति द्वारा जारी आवेदन पत्र साईट प्लान स्वीकृत एवं अप्रजोक्त इकरानामा के आधार पर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा मार्ग, जयपुर 302004

फ़ोन - 0141 2574790 ईमेल - 911412569966 एक्सटर्नल - 2574790

dc.zone04@jaypurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

17	44	बुनियादी विकास	गोपाल विहार	श्रीमती गुमान कंवर पत्नी श्री विमल सिंह एवं श्रीमती हेमलता कंवर पत्नी श्री कृष्ण सिंह तावर	श्री कैलाश चन्द प्रजापत पुत्र श्री कल्याण जी प्रजापत	संगिति द्वारा जारी आयंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर।
----	----	-------------------	----------------	--	--	--

EO
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनासंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर ज्ञेय है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

01/7
15/10/22
उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 ईमेल - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240 ई मेल

dz zone04@jaipurjda.org